यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

0 12/19

तारीखरजू:– 13.3.19

उनवानः– विशम्भर आदि बनाम दयाचन्द वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री मदनमोहन शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य की असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 15/04/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 440 रकवा 0.09, 441 रकवा 0.06 है0 448 रकवा 0.16 है0, कुल किता 3 रकवा 0.31 है0 ग्राम चक गाजीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली मे आगामी तिथि तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिए जाते है। 933-36 13/3/19

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15/04/2019 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

15.4.19
प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 3 व 4 बावजूद सूचना उप० नही हो अप्रार्थी नं. 2 का रजि० लिफाफा प्राप्तकर्ता के बाहर चले जाने से वापिस प्राप्त हुआ हो अप्रार्थी नं. 1 की AD रसीद प्राप्त नहीं हुई हो P.O. सा. चुनाव कार्य से करौली पधारे हो वास्ते अग्रिम आदेश दि0 7-6-19 को पेश हो।
रीडर

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

16.12.19

वादी की ओर से स्थगन रखा गया है जवाब की आवश्यकता नहीं है प्रकरण बहस में है वास्ते बहस दिनांक 22.1.20 को पेश हो।

22.1.20
वादी वकील / ~~वकील उभय पक्ष उपस्थित~~
पीठासीन अधिकारी प्रशिक्षण में प्रभार
पत्रावली मतानुसार दिनांक 23.1.20
को पेश हो

23.1.20

प्रार्थी वकील उप०। बहस हेतु एक मौका चाहा। वास्ते बहस दिनांक 10.2.20 को पेश हो।

10.2.20

प्रार्थी वकील उप०। बहस हेतु पुनः समय चाहा। वास्ते बहस अंतिम अवसर दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 28.2.20 को पेश हो।

28.2.20

वकील ~~अप्र~~ प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। दिनांक 13.3.19 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निस्तारण होने तक कन्फर्म किया जाना उचित पाता हूं। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम चकगाजीपुर की आराजी ख. नं. 440/0.09, 441/0.06, 448/0.16 पर मूल दावा के निस्तारण तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न करें।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 15:37:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: